

Pm/SPL-1
26/6/19

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 237वीं बैठक दिनांक 20.06.2019 को 11.00 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1	श्री भास्कर ए सावत	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2	श्री भास्कर ए सावत	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	सदस्य
3	श्री सुबीर कुमार	आवासन आयुक्त, राज.आवा.मण्डल	सदस्य
3	श्री आर. के. विजयवर्गीय	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान	सदस्य
4	श्री राजीव जैन	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	मण्डल-सचिव

शासन सचिव वित्त (बजट), श्रीमती मंजु राजपाल द्वारा अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इसकी अनुमति प्रदान की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित रहे :-

1	श्री मंगल लाल यागी	संयुक्त शासन सचिव, द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राज.सरकार
2	श्रीमती रेखा भास्कर	वित्तीयसलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज.आवा.मण्डल
3	श्री लेखराज जाग्रत	निदेशक (विधि), राज.आवा.मण्डल
4	श्री अनिल कुमार कौशिक	सम्पदा प्रबन्धक, मुख्यालय, राज.आवा.मण्डल
5	श्री के.सी.मीणा	मुख्य अभियंता प्रथम, राज.आवासन मण्डल
6	श्री घनश्याम बाघेला	मुख्य अभियंता द्वितीय, राज.आवासन मण्डल
7	श्री एस. के. सिंघल	मुख्य अभियंता, मुख्यालय राज.आवासन मण्डल
8	श्री नत्थू राम	अति.मुख्य अभियंता, प्रथम
9	श्री कल्याण प्रसाद	अति.मुख्य अभियंता, द्वितीय
10	श्री सीताराम बारी	अति.मुख्य अभियंता, तृतीय
11	श्री अरुण जोशी	संयुक्त निदेशक (पी.आर.)

--:: कार्यवाही विवरण ::--

विचार बिन्दु संख्या	विषय	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
237.1	दिनांक 12.09.2018 को सम्पन्न हुई मण्डल की 236वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	दिनांक 12.09.2018 को सम्पन्न हुई मण्डल की 236वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गई।	Secretary
237.2	दिनांक 12.09.2018 को सम्पन्न हुई मण्डल की 236वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन	दिनांक 12.09.2018 को सम्पन्न हुई मण्डल की 236वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary

अवलोकनार्थ।

अवलोकन के दौरान निम्न बिन्दुओं पर साथ में अंकित निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये तथा शेष पालना पर संतुष्टी व्यक्त की गई।

236.12:-

विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सूथला चौपासनी, जोधपुर की उक्त 143.03 बीघा भूमि मण्डल को सैट अपार्ट से प्राप्त हुई थी अर्थात् सिवाय चक भूमि का आवंटन हुआ था। विभिन्न राजस्व न्यायालय में चल रहे वाद से उक्त सिवाय चक भूमि किन्हीं कारणों से विभिन्न व्यक्तियों के नाम खाते में आई। परन्तु उसकी अपील भी आगे अपीलीय न्यायालय में की गई है। वर्तमान में भी प्रकरण अपीलीय न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार की भूमि चूँकि अवाप्ति से प्राप्त नहीं हुई है, अतः 25 प्रतिशत भूमि देने का अवार्ड संभव नहीं है।

प्रकरण माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार करने का निर्णय लिया गया एवं निर्देश दिये गये कि इस संबंध में पूर्व गठित कमेटी को समाप्त किया जाए क्योंकि न्यायालय में वाद लंबित है।

236.13:-

अध्यक्ष महोदय ने प्रकरण में पालना नहीं होने को गंभीर माना। अब तक नगर विकास न्यास से कोई सारपूर्ण वस्तुस्थिति प्राप्त नहीं होने तथा राजस्थान आवासन मण्डल के स्तर से भी कार्यवाही नहीं करने को गंभीर माना।

बिन्दु सं. 236.14, 236.15, 236.16, 236.17, समान प्रकृति के प्रकरण हैं, इन पर नीतिगत निर्णय होना चाहिए न कि प्रकरण विशेष पर।

बिन्दु संख्या 236.14 से 234.16 में क्रमशः सैती, चित्तौडगढ़, गिर्वा उदयपुर, चकगर्बी बीकानेर तथा डूंगरपुर की अंकित खसरा नंबरों की भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने के संबंध में मुख्यालय द्वारा संबंधित उप आवासन आयुक्त को अनेकों पत्र लिखे जाने पर भी मौके की वस्तुस्थिति, भूमि की मण्डल योजना, में आवश्यकता/ अनावश्यकता, भूमि छोड़ने के औचित्यता या भूमि छोड़ना उपयुक्त

		<p>नहीं होने बाबत व अन्य अहम बिन्दुओं पर अब तक कोई वस्तुस्थिति की रिपोर्ट/अभिज्ञासा प्राप्त नहीं होने को गभीरता से लिया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये कि इस प्रकार की लापरवाही पर स्पष्टीकरण लिया जाकर प्रस्तुत किया जाए तथा अब भी भूमियाँ जो अवाप्ताधीन हैं, को अवाप्ति से मुक्त के संबंध में निर्धारित मापदण्डों के सन्दर्भ में परीक्षण कर सभी प्रकरणों में वस्तुगत(Objctive) निर्णय लिये जाने हेतु स्पष्ट रिपोर्ट उप आवासन आयुक्त से प्राप्त कर संबंधित मुख्य अभियंता की रिपोर्ट /अभिज्ञासा सहित प्रस्तुत की जावे ताकि बोर्ड प्रकरण उचित निर्णय लेकर सक्षम स्तर पर निर्णयार्थ भेजा जा सके।</p> <p>236.21:- सभी सामुदायिक केन्द्रों की सूची बनाने व वर्तमान स्थिति तैयार कर संचालित कराने का निणय लिया गया।</p> <p>236.22:- बोर्ड द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की पालना के बाद भी मौके पर विकास-कार्यवाही नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई । एक माह में वांछित कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये।</p> <p>236.23:- जयपुर विद्युत वितरण निगम से सम्पर्क कर अविलम्ब विद्युतीकरण कराने के निर्देश दिए गए।</p> <p>236.25:- विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् झूलेलाल मार्केट का निस्तारण शीघ्र कराने के निर्देश दिये गये तथा तिब्बती मार्केट बनाने के सुझाव पर संबंधत से सम्पर्क कर ठोस कार्यवाही कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।</p>	
237.3	राजस्थान आवासन मण्डल के वर्ष 2018-2019 के संशोधित बजट अनुमान व वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान।	विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त राजस्थान आवासन मण्डल के वर्ष 2018-2019 के संशोधित बजट अनुमान व वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान निम्न संशोधनों के साथ पारित किया गया:- 1.बजट में अंकित वर्ष 2019-20 हेतु पूंजीगत प्राप्तियों (राशि 94531.22 लाख)	FA

		<p>एवं आयगत प्राप्तियों (राशि 22535.44 लाख) में संशोधन किये जाए।</p> <p>2. पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में सभी उप आवासन आयुक्तों से 10 दिन में टारगेट(लक्ष्य) निर्धारित कर वांछित लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्ययोजना 20 दिन में प्राप्त की जाये।</p>	
237.4	मण्डल कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 का बोनस/अनुग्रह राशि तथा उपहार राशि के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एजेण्डा।	मण्डल कार्मिकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 का बोनस/अनुग्रह राशि तथा उपहार राशि के भुगतान की प्रस्तावानुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
237.5	बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षित वार्षिक लेखे (अन्तिम लेखे) निदेशक मण्डल से अनुमोदनार्थ एजेण्डा।	बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षित वार्षिक लेखे (अन्तिम लेखे) का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
237.6	परिचलन से पारित प्रस्ताव संख्या 244/2019 पुष्टि बाबत। (पदोन्नति हेतु निर्धारित कार्य अनुभव में नियमानुसार 1/3 अवधि की छूट प्रदान करने बाबत)	परिचलन से पारित प्रस्ताव संख्या 244/2019 पदोन्नति हेतु निर्धारित कार्य अनुभव में नियमानुसार 1/3 अवधि की छूट प्रदान करने की पुष्टि की गई।	Secretary
237.7	राजस्थान आवासन मण्डल की वित्तीय स्थिति सुदृढीकरण करने की दृष्टि से प्रत्येक योजना में अधिकतम 15 प्रतिशत भूमि उचित क्षेत्रफल में प्लॉट के रूप में केवल नीलामी द्वारा विक्रय कराने का प्रस्ताव।	विचार-विमर्श पश्चात् राजस्थान आवासन मण्डल की वित्तीय स्थिति सुदृढीकरण करने की दृष्टि से प्रत्येक योजना में विक्री योग्य निर्धारित आवासीय भूमि के कुल क्षेत्रफल में से अधिकतम 15 प्रतिशत आवासीय भूमि को प्लॉट/कोर्नर प्लॉट के रूप में "केवल नीलामी" द्वारा विक्रय करने की शक्तियां हेतु संशोधन बोर्ड के सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 में कराने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को सक्षम अनुमोदन हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।	Secretary
237.8	उप सचिव के सृजित पद के लिये राज्य सरकार से अनुमोदन एवं पदोन्नति हेतु अर्हताओं में संशोधन करने की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात् निजी सचिव के 6 सृजित पदों में से एक पद को उप सचिव के पद पर क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया तथा उप सचिव का यह क्रमोन्नत पद 100 प्रतिशत पदोन्नति योग्यता एवं सहवरीयता से निजी सचिव से भरने का निर्णय लिया गया। उप सचिव के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता स्नातक की योग्यता तथा तीन वर्ष निजी सचिव के पद पर सेवा अवधि का अनुभव स्वीकृत किया गया तथा उक्तानुसार "राजस्थान	Secretary

		आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम 2010" में प्रावधान करने के लिये स्वीकृति देने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।	
237.9	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा राजकीय विभागों के निर्माण कार्यों को डिपोजिट कार्यों के रूप में सम्पादन हेतु एजेन्सी चार्ज की दर पुनर्निर्धारित करने बाबत।	विचार-विमर्श पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा राजकीय विभागों के निर्माण कार्यों को "डिपोजिट कार्यों" के रूप में सम्पादन हेतु "सभी डिपोजिट" कार्यों की दरें संशोधन करने का निर्णय निम्न निम्नानुसार लिया गया कि:-परियोजना की ड्राईंग्स एवं डिजायन आवासन मण्डल द्वारा तैयार करने की स्थिति में 7.50 प्रतिशत तथा ड्राईंग्स एवं डिजायन संबंधित विभाग द्वारा मुहैया करवाने की स्थिति में 6.00 प्रतिशत चार्ज । इस संबंध में सभी आवश्यक विधिक कार्यवाही मुख्य अभियंता, प्रथम द्वारा संपादित की जाएगी।	CE-I
237.10	मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित व्यवसायी भूखण्ड/ आवासीय भूखण्ड-प्लिन्थ/ लिटल/ स्केलटन तथा संस्थागत भूमि पर 12 वर्ष से अधिक समय हो जाने पर भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर विलम्ब अवधि बढ़ाने के संबंध में निर्णयार्थ प्रस्ताव। (1) आवास संख्या 100/96 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर/(2) मकान संख्या 6-v-938-B(Skelton) कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर/(3) मकान संख्या 4-F-11 कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर/(4) मकान संख्या 4-F-25 कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर/(5) मकान संख्या 4-F-22 कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर/(6) मकान संख्या 4-A-14-A (Plinth Level) कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर/(7) मकान संख्या 3-H-55 कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर/(8) मकान संख्या	मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित व्यवसायी भूखण्ड/ आवासीय भूखण्ड-प्लिन्थ / लिटल/ स्केलटन तथा संस्थागत भूमि पर 12 वर्ष से अधिक समय हो जाने पर भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर विलम्ब अवधि बढ़ाने के संबंध में- प्रस्तुत प्रकरणों में प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य संपदा प्रबन्धक के अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लिया गया। तथा इस संबंध में मुख्य संपदा प्रबन्धक से स्पष्टीकरण लेने हेतु निर्देश दिये गये।	CEM


	<p>3-V-49 (Plinth Level) कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर/(9) मकान संख्या 3-A-14 कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर/(10) भू-खण्ड संख्या 2/133 एनईबी-82 योजना, अलवर/(11)(आवास संख्या 2/507 एसडब्ल्यूबी योजना, अलवर)।</p> <p>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न 6 प्रकरण कुडी भगतासनी, जोधपुर के भी निर्णयार्थ प्रस्तुत किये गये:- (1) 3-जी-4, (2) 3-टी-15, (3) 3-वी-34, (4) 3-पी-36, (5) 6-वी-1150, (6) 3/4</p>		
237.11	<p>नीलामी में आवंटित आवास संख्या 1-बी-8 सुनेल दिनांक 04.04.2018 के आवंटन पत्रानुसार समय सीमा में मांग राशि जमा नहीं कराने के संबंध में।</p>	<p>नीलामी में आवंटित आवास संख्या 1-बी-8 सुनेल दिनांक 04.04.2018 के आवंटन पत्रानुसार समय सीमा में मांग राशि जमा नहीं कराने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा यह पाया गया कि पर्याप्त समय देने के बाद भी आवेदक द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई है। अतः प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।</p>	CEM
237.12	<p>मण्डल भूमि/योजनाओं में हो रहे अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाने बाबत नगर पालिका अधिनियम- 2009 की धारा-245 के अनुसार मण्डल में अतिक्रमण स्वयं के स्तर से हटाने की शक्तियां प्रत्यायोजित किये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने हेतु एजेण्डा।</p>	<p>मण्डल भूमि/योजनाओं में हो रहे अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण हटाने बाबत नगर पालिका अधिनियम- 2009 की धारा-245 के अनुसार मण्डल में अतिक्रमण स्वयं के स्तर से हटाने की शक्तियां प्रत्यायोजित किये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने हेतु प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई। तथा अविलम्ब प्रस्ताव मय औचित्यता के राजस्थान सरकार को आवश्यक संशोधन बाबत भेजने के निर्देश दिये गये ताकि सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जा सके।</p>	Secretary
237.13	<p>पीडीआर एक्ट के अनुसार राजस्थान आवासन मण्डल को वसूली संबंधी शक्तियां प्रत्यायोजित कराये जाने के लिये राज्य सरकार को निवेदन किये जाने हेतु एजेण्डा।</p>	<p>प्रस्तावानुसार पीडीआर एक्ट के स्थान पर भू-राजस्व अधिनियम के अनुसार राजस्थान आवासन मण्डल की बकाया भू राजस्व की बकाया वसूली के अनुरूप वसूली की संबंधी शक्तियां प्रत्यायोजित कराये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने की स्वीकृति प्रदान की गई।</p>	Secretary

237.14	मण्डल में विभिन्न श्रेणी के आवासों के लिए पंजीकरण हेतु प्रचलित आय वर्ग में परिवर्तन करने बाबत।	मण्डल में विभिन्न श्रेणी के आवासों के लिए पंजीकरण हेतु प्रचलित आय वर्ग में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CEM
237.15	मण्डल के लागत सिद्धांतों में संशोधन बाबत।	प्रस्तावानुसार मण्डल के लागत सिद्धांतों में संशोधन निम्न परिवर्तन के साथ किए जाने का निर्णय लिया गया। 1. निर्धारित सूत्र के अनुरूप मूल्यहास लागू किया जाए। 2. ब्याज दर 8.5 प्रतिशत की जावे। 3.लागत सूत्री निर्धारण के लिये किसी विशेषज्ञ/किसी संस्था (प्रोफेशनल) की आउटसोर्स सेवाएं ली जाए।	FA
237.16	मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित व्यवसायिक भू-खण्ड/ प्लिथ स्तर के आवासीय भू-खण्ड/ स्केलटन/संस्थागत भूमि आवंटन की शर्त अनुसार 02 वर्ष तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर विलम्ब अवधि बढ़ाने के संबंध में।	मण्डल की आवासीय योजनाओं में आवंटित व्यवसायिक भू-खण्ड/ प्लिथ स्तर के आवासीय भू-खण्ड/ स्केलटन/संस्थागत भूमि आवंटन की शर्त अनुसार 02 वर्ष तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर विलम्ब अवधि बढ़ाने का प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CEM
237.17	व्यवसायिक भू-खण्ड संख्या बी-26, सेक्टर-11, मानसरोवर, जयपुर में निर्माण नहीं करने पर समयवधि बढ़ाने की स्वीकृति बाबत।	व्यवसायिक भू-खण्ड संख्या बी-26, सेक्टर-11, मानसरोवर, जयपुर में निर्माण नहीं करने पर समयवधि बढ़ाने की प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
237.18	आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर वर्ष 2019-20 के लिये स्थिर रखने के संबंध में।	आवासन मण्डल की समस्त आवासीय योजनाओं की विकसित भूमि दर वर्ष 2019-20 के लिये स्थिर रखने के संबंध प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	FA
237.19	मण्डल की मानसरोवर योजना सेक्टर-8, जोन-84, शॉपिंग सेन्टर के संबंध में।	मण्डल की मानसरोवर योजना सेक्टर-8, जोन-84, शॉपिंग सेन्टर के संबंध में प्रस्ताव पर विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्ता को मंडल का पक्ष प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय में जवाब पेश करने हेतु अनुरोध किया जाए।	CEM
237.20	मण्डल में वरिष्ठ लेखाधिकारी के प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले 02 पदों को पदोन्नति से भरे जाने हेतु संशोधन बाबत।	मण्डल में वरिष्ठ लेखाधिकारी के प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले 02 पदों को बोर्ड के लेखाधिकारियों से पदोन्नति से भरे जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया तथा निर्देश दिये गये कि राज्य सरकार को प्रतिनियुक्ति पर दो वरिष्ठ लेखाधिकारी लगाने हेतु पत्र लिखा जाए।	Secretary

237.21	मण्डल की आवासीय योजनाओं में स्वतंत्र आवासों को नीलामी के स्थान पर खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत निस्तारण के संबंध में।	मण्डल की आवासीय योजनाओं में स्वतंत्र आवासों को नीलामी के स्थान पर खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत निस्तारण के संबंध में प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CEM
237.22	राजस्थान आवासन मण्डल के प्लिथ स्तर एवं ढांचागत आवासों के कब्जा उपरान्त 12 वर्ष तक निर्माण पूर्ण नहीं करने की अवधि बढ़ाने बाबत।	राजस्थान आवासन मण्डल के प्लिथ स्तर एवं ढांचागत आवासों के कब्जा उपरान्त 12 वर्ष तक निर्माण पूर्ण नहीं करने की अवधि बढ़ाने बाबत प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CEM
237.23	व्यवसायिक भू-खण्ड संख्या बी-25, सेक्टर-11, मानसरोवर, जयपुर में निर्माण नहीं करने पर समयावधि बढ़ाने की स्वीकृति बाबत।	व्यवसायिक भू-खण्ड संख्या बी-25, सेक्टर-11, मानसरोवर, जयपुर में निर्माण नहीं करने पर समयावधि बढ़ाने की प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
237.24	राजस्थान सरकार द्वारा लागू किये गये रियल एस्टेट एक्ट-2016 एवं नियम 2017 के प्रावधानों के अनुरूप, आवासन मण्डल की नई परियोजनाओं में पंजीकरण से पूर्व लागत निर्धारण के प्रक्रिया नियमों में आवश्यक संशोधन बाबत।	राजस्थान सरकार द्वारा लागू किये गये रियल एस्टेट एक्ट-2016 एवं नियम 2017 के प्रावधानों के अनुरूप, आवासन मण्डल की नई परियोजनाओं में पंजीकरण से पूर्व लागत निर्धारण के प्रक्रिया नियमों में आवश्यक संशोधन बाबत प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
237.25	आवास संख्या 3/169, पंचशील योजना, अजमेर के निर्माण की अवधि बढ़ाने हेतु प्रस्ताव।	आवास संख्या 3/169, पंचशील योजना, अजमेर के निर्माण की अवधि बढ़ाने हेतु प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई।	CEM
237.26 से 237.37	राजस्थान आवासन मण्डल के अधीन विभिन्न आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवास/प्लेट की लागत में छूट प्रदान करते हुये खुली बिक्री योजना में निस्तारण की स्वीकृति बाबत प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नानुसार हैं। (237.26 से 237.37) :- 237.26:- 1164 फ्लैट्स प्रताप नगर, जयपुर 237.27:- 913 स्वतंत्र आवास/फ्लैट्स खण्ड-अजमेर के अधीन। 237.28:- 49 स्वतंत्र आवास, आर.के.पुरम, आवासीय योजना, कोटपूतली। 237.29:- 296 फ्लैट्स, इंदिरा गांधी आवासीय योजना जयपुर	प्रस्तावानुसार राजस्थान आवासन मण्डल के अधीन विभिन्न आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवास/प्लेट की लागत में छूट प्रदान करते हुये खुली बिक्री योजना में निस्तारण की स्वीकृति निम्न संशोधनों के साथ प्रदान की गई:- 1. आवास बिक्री हेतु पर्याप्त प्रचार-प्रसार करते हुये बेहतर प्रयास किये जाये। 2. 120 दिन तक की अवधि के लिये एक बार लागत में छूट प्रदान करते हुये खुली बिक्री योजना लागू की जाए। 3. राज्य सरकार को प्रकरण अग्रेसित कर इस संबंध में सहमति प्राप्त की जाए।	CEM

	<p>237.30:- 1487 आवास / फ्लेट्स कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर।</p> <p>237.31:- 54 आवास, बालोतरा आवासीय योजना</p> <p>237.32:- 112 आवास / फ्लेट्स चौपासनी आवासीय योजना, जोधपुर</p> <p>237.33:- 506 आवास / फ्लेट्स जैसलमेर आवासीय योजना।</p> <p>237.34:- 553 आवास हनुमानगढ आवासीय योजना।</p> <p>237.35:- 1651 आवास / फ्लेट्स वृत्त उदयपुर के अधीन आवासीय योजनाएं।</p> <p>237.36:- 1115 स्वतंत्र आवास वृत्त कोटा के अधीन आवासीय योजनाएं।</p> <p>237.37:- 349 आवास / फ्लेट्स वृत्त अलवर के अधीन आवासीय योजनाएं</p>		
237.38	<p>वित्तीय वर्ष 2018-19(कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिये राजस्थान आवासन मण्डल के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (वैधानिक अंकेक्षक) की नियुक्ति हेतु जारी आदेश की कार्यान्वयन स्वीकृति बाबत।</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2018-19(कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिये राजस्थान आवासन मण्डल के चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (वैधानिक अंकेक्षक) की नियुक्ति हेतु जारी आदेश की प्रस्तावानुसार कार्यान्वयन स्वीकृति प्रदान की गई।</p>	FA
237.39	<p>अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माणादि गतिविधियों के चिन्हीकरण हेतु आवासन मण्डल की सभी योजना भूमि, अधिग्रहित / स्वामित्व की भूमि, अवाप्त/अवाप्ताधीन भूमि का Land Management Electronic Mapping & Web data base of Housing Board Properties all over Rajasthan कराने हेतु स्वीकृति बाबत।</p>	<p>प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गई। तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये कि जिन स्थानों पर पूर्व में इस प्रकार का चिन्हीकरण हो चुका है तो इसकी पुनरावृत्ति इस निर्णय के फलस्वरूप नहीं हो परन्तु शेष सभी सम्पत्तियों, भूमि/आवासन मण्डल की कॉलोनी का चिन्हीकरण कराया जाए ताकि अतिक्रमण/अनधिकृत निर्माण/गतिविधियों को प्रभावी रूप से रोका जा सके।</p>	CE-HQ

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


 (राजीव जैन)
 सचिव